

मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ) लघु जल संसाधन विभाग, पटना,
जल भवन, तृतीय तल, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना-800014

ईमेल- ce.pmg-bih@gov.in

दूरभाष-0612-2215035

संचिका सं०:-ल०ज०स०(पी०एम०जी०)-

35

/पटना, दिनांक:- 28/04/2026

आदेश

लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01/2025-26 के ग्रुप सं०-06 कश्मिरिया बांध का जीर्णोद्धार कार्य योजना का कार्य संवेदक श्री वीरेन्द्र कुमार, पिता-रामदहिन प्रसाद यादव, ग्राम-पाठक विगहा, पो०-रौनिया, थाना-महकार, जिला-गयाजी, बिहार, पिन कोड-824233 (निबंधन सं०-MWRD1122C2IN2953, श्रेणी-II) को आवंटित होने के उपरांत कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका के पत्रांक-1777 दिनांक-29.05.2025 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया, जिसके अन्तर्गत कार्य प्रारंभ करने की तिथि 29.05.2025 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 28.02.2026 तक निर्धारित है। संवेदक श्री वीरेन्द्र कुमार के द्वारा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 28.02.2026 समाप्त होने एवं कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका के पत्रांक-929 दिनांक-06.04.2026 एवं अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर के पत्रांक-457 दिनांक-06.04.2026 द्वारा संवेदक को कालीकृत करने हेतु भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर का पत्रांक-737 दिनांक-08.04.2026 द्वारा संवेदक श्री वीरेन्द्र कुमार को कालीकृत करने हेतु प्रस्ताव विहित प्रपत्र में सूचना के साथ अनुशंसा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-549 दिनांक-10.04.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। संवेदक का जबाब अबतक अप्राप्त है। कार्य समाप्ति की तिथि 28.02.2026 के समाप्त हो जाने के बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना एकरारनामा में निहित शर्तों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्णित योजना का कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने के कारण सम्यक समीक्षोपरांत संवेदक श्री वीरेन्द्र कुमार, पिता-रामदहिन प्रसाद यादव, ग्राम-पाठक विगहा, पो०-रौनिया, थाना-महकार, जिला-गयाजी, बिहार, पिन कोड-824233 (निबंधन सं०- MWRD1122C2IN2953, श्रेणी-II) को बिहार टेकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के नियम 11 (क) के उप नियम (ii) एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के आदेश ज्ञापांक-154 दिनांक-18.06.2015 में निहित प्रावधानों के तहत अगले 10 वर्षों के लिये कालीकृत किया जाता है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक-

/पटना दिनांक-

प्रतिलिपि-संवेदक श्री वीरेन्द्र कुमार, पिता-रामदहिन प्रसाद यादव, ग्राम-पाठक विगहा, पो०-रौनिया, थाना-महकार, जिला-गयाजी, बिहार, पिन कोड-824233 (निबंधन सं०-MWRD1122C2IN2953, श्रेणी-II) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक- 645 /पटना, दिनांक- 28/04/2026

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग,/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल,/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल,एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भी),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना